

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 441 / 2013
संस्थान दिनांक 13.08.2013

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

बाबुलाल पिता हरकचंद, आयु 43 वर्ष,
निवासी- संजय गांधी नगर कोटा, थाना विज्ञान नगर,
कोटा, (राजस्थान)

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 11.11.2017 को घोषित)

01. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 171 / 2013 अंतर्गत धारा 279, 337, 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 13.08.2013 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.08.2013 को समय प्रातः 06:00 बजे, स्थान भौंगली नाला, सांगवी फाटा, ए.बी. रोड़ पर वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 को उपेक्षापूर्ण ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से भारतसिंह एवं पप्पू उर्फ अफसर को टक्कर मारकर उपहति कारित करने तथा योगेन्द्र का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसे टक्कर मारने, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, के संबंध में धारा 279, 337 (2शीर्ष), 304-ए भा.द.सं के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।

02. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा बचाव पक्ष ने मृतक योगेन्द्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 तथा ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 भी सही होना स्वीकार की है ।

03. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 08.08.2013 को फरियादी पप्पू उर्फ अफसर ने थाना ठीकरी में ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 के चालक के विरुद्ध यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी थी। वह आयशर क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 9794 पर क्लिनरी का काम करता है। वह ट्रक ड्रायवर योगेन्द्र पिता जगदीश प्रजापति निवासी राजपुरा तथा भारत ठाकुर दिनांक 07.08.2013 को उक्त आयशर गाड़ी में सिंगर (पुना) से धनिया भरकर इंदौर के लिये जा रहे थे कि बरूफाटक के पास ए.बी. रोड़ संगवी फाटा के पास ड्रायवर योगेन्द्र ने आयशर को सड़क के किनारे टायर में फंसी गिट्टी निकालने के लिये रोक दी तभी अचानक पीछे से ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 का ड्रायवर उसके ट्रक को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया तथा उनकी सड़क किनारे खड़ी आयशर को पीछे से टक्कर मार दी जिससे आयशर पलटी खा गई और ड्रायवर आयशर में दब गया उसकी मौत पर ही मौत हो गयी। गाड़ी में बैठे भारत ठाकुर को चोट आयी। ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 का चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया। उसने सेठ अब्दुल को मोबाईल से सूचना दी तथा भारत को साथ लेकर रिपोर्ट लिखाने आया। पप्पू उर्फ अफसर की रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 171/13 दर्ज कर घायलों को मेडिकल परीक्षण के लिये भेजा। मृतक के शव का परीक्षण कराया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये उक्त ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 को जप्त किया तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

04. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 (2 शीर्ष), 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है ।

05. प्रकरण में विचारणीय निम्नलिखित है कि :-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.08.2013 को समय प्रातः 6:00 बजे, स्थान- भौंगली नाला, सांगवी फाटा, ए.बी रोड़ पर वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 को ऐसे उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाया, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो गया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर आहत भारतसिंह एवं पप्पू उर्फ अफसर को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?

3. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त

वाहन को उपेक्षापूर्वक ढंग अथवा उतावलेपन से चलाकर योगेन्द्र को टक्कर मारी, जिससे उसकी ऐसी मृत्यु कारित हुई जो कि, आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

06. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में पप्पू उर्फ अफसर (अ.सा. 1), भारत (अ.सा.2), अब्दुल रहीम (अ.सा.3), एम.एस. चौहान (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं ।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 के संबंध में

07. प्रकरण में आयी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तीनों प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त तीनों प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। पप्पू उर्फ अफसर (अ.सा.1) ने अपने कथन में बताया कि लगभग 02 वर्ष पूर्व की घटना है। घटना वाले दिन वह आयशर वाहन पर क्लिनरी करता था। उस पर चालक के रूप में योगेन्द्र था। वह आयशर वाहन के अंदर सोया था अचानक आवाज आयी तब उसे मालूम हुआ कि दुर्घटना हो गयी है वह जिस वाहन में सोया था वह पलटी खा चुका था तथा वह बेहोश हो गया था। योगेन्द्र की आयशर वाहन में दबने से उसने दुर्घटना के संबंध में थाना ठीकरी पर प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट की जिसके जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-2 का घटना स्थल बताया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे पैर में चोट आयी थी। पुलिस ने योगेन्द्र की लाश का सफीना फार्म प्रदर्श पी-3, लाश पंचायतनामा प्रदर्श पी-4 और नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-5 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन के ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि उनकी आयशर वाहन को ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाकर पीछे से टक्कर मार दी थी यह तक कि साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट एवं पुलिस कथन प्रदर्श पी-6 में भी वाहन का नम्बर पुलिस को बताने से इंकार किया है।

08. भारत (अ.सा.2) ने भी 3 वर्ष पहले आयशर वाहन को ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 के चालक द्वारा पीछे से टक्कर मारकर आयशर वाहन को पलटी खिलाने के संबंध में कथन किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि आयशर में दबकर योगेन्द्र की मृत्यु हुई है। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी ने स्वीकार किया

कि ट्रक का नम्बर अस्पताल में पुलिस वालों ने बताया था। अब्दुल रहीम (अ.सा.3) ने भी उसकी आयशर क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 9794 के चालक योगेन्द्र की दुर्घटना में मृत्यु होने की सूचना भारत द्वारा देने के संबंध में कथन किया है। साक्षी का यह भी कथन है कि भारत ने फोन पर टक्कर मारने वाली ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 बताया था। साक्षी ने प्रदर्श पी-3, प्रदर्श पी-4, प्रदर्श पी-5 पर बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं।

09. एम.एस. चौहान (अ.सा.4) का कथन है कि दिनांक 08.08.2013 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 171/13 की विवेचना के दौरान उसने घटना स्थल का नक्शाभौक प्रदर्श पी-2 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उसने मृतक योगेन्द्र की लाश का सफीना फार्म प्रदर्श पी-3, लाश पंचनामा प्रदर्श पी-4 आयशर वाहन का नुकसानी पंचनामा प्रदर्श पी-5 का बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने साक्षी पप्पू उर्फ अफसर, भारत सिंह, अब्दुल रहीम, जगदीश और जगमोहन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने आरोपी के पेश करने पर ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए. 1913 के दस्तावेज और आरोपी का ड्रायविंग लाईसेंस प्रदर्श पी 8 के अनुसार जप्त किया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियोजन साक्षी ने अपने कथनों में वाहन चालक का नाम नहीं बताया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना स्थल एक व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है जहाँ से दिन भर में हजारों वाहन निकलते हैं लेकिन साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वाहन एवं दस्तावेजों की जप्ती घटना दिनांक के पांच दिन बाद की गयी है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रह है।

10. इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने घटना दिनांक स्थान और समय पर आरोपी द्वारा उक्त ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 को लोक मार्ग पर उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर भारतसिंह, पप्पू उर्फ अफसर तथा योगेन्द्र सिंह का जीवन संकटापन्न करने उक्त ट्रक की टक्कर आयशर क्रमांक एम.पी.09 जी.ई. 9794 को मारकर पप्पू उर्फ अफसर एवं भारतसिंह को उपहति कारित करने एवं योगेन्द्र की मृत्यु ऐसे परिस्थितियों में कारित करने जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता है, के संबंध में कोई भी कथन नहीं किये हैं। यह तक की घटना के समय आरोपी द्वारा उक्त ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए.1913 चलाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया जा सकता है और उसे उक्त अपराधों या किसी अन्य अपराध के लिये दोषसिद्ध भी नहीं ठहराया जा सकता है।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय के

चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त को शंका का लाभ देते हुए धारा 279, 337, (2 शीर्ष) 304-ए भा0द0सं0 के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। आरोपी के न्यायिक अभिरक्षा में रहने की संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र बनाया जाए।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक आर.जे. 20 जी.ए. 1913 उसके पंजीकृत स्वामी बाबुलाल पिता हरकचंद निवासी नवासी- संजय गांधी नगर कोटा, थाना विज्ञान नगर, कोटा, (राजस्थान) को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी